तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1190/2005/नागौर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2023	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री शंकर लाल चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने एक दावा विवादित आराजी बाबत् खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2002 से रेस्पो0 का दावा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध वादी/रेस्पो0 ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के यहां एक अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2003 से स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.04.2002 अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह अपील मंडल के समक्ष पेश की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अपील में सुना गया । योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1190/2005/नागौर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियम एवं रिकॉर्ड के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि उसका विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जा काश्त बतौर कृषक चला आ रहा हो एवं परीक्षण न्यायालय ने ठोस आधार पर उसका दावा निरस्त किया था, किंतु अपीलीय न्यायालय ने उसे उसकी अपील स्वीकार करने में विधिक भूल की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन अंगोर की भूमि है जो सार्वजनिक हित की भूमि है एवं ऐसी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना वर्जित है। उक्त आधार पर ही परीक्षण न्यायालय ने रेस्पो0 का दावा खारिज किया था परंतु अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है वह आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी सैटलमेंट के समय से पहले वादी/रेस्पो0 के पिता और उनके बाद वादी/रेस्पो0 का निरंतर कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2014, संवत् 2028 से 2036 और संवत 2037 से 2041 में भी वादी/रेस्पो0 के पिता की काश्त दर्ज है। विवादित आराजी पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की एवज में वादी/रेस्पो0 के पिता से जुर्माना की राशि प्राप्त करने की रसीद संवत् 2026 से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1190/2005/नागौर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2039 तक वसुल किया जाना साबित होता है। उक्त दस्तावेजों से साबित होता है कि उनका संवत् 2011 से आज तक निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिससे वह विवादित आराजी पर खातेदारी हक प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, मेडता ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.02 में अंकित किया है कि :– ‘‘ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खसरा परिवर्तनशील खसरा गिरदावरी में वादी का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से रहा है जिसे समय–समय पर बेदखल किया जा चुका है। इस बात की पुष्टि प्रस्तुत धारा 91 के नोटिस एवं जुर्माना रसीदों से होती है। वादी का संवत 2012 से लगातार कब्जा व काश्त किसी साक्ष्य से साबित नहीं है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकॉर्ड से आराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन अंगोर, गोचर है, जो सार्वजनिक हितार्थ भूमि है। आर0आर0डी0 1988 पेज 654, आर0आर0डी0 1992 पेज 496 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैं कि सार्वजनिक हितार्थ भूमि आवंटन अथवा नियमन के लिये उपलब्ध नहीं है। इन भूमियों के वर्गीकरण परिवर्तन पर भी आवंटन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन अंगोर/गोचर होने से वादी को इस भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी भूमि धारा 115(6) से भी आवृत होती है क्योंकि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये है। इसी प्रकार राजस्थान विधि पत्रिका दिसंबर 1991 पेज 219 सेक्रेटरी कृषि मंडी, जोधपुर बनाम अनवर खान व अन्य में भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अतिक्रमी को अतिक्रमण के आधार पर अतिक्रमित भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1190/2005/नागौर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जिससे भी वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।''

उपरोक्त समंपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा विवादित भूमियों के संबंध में प्रस्तुत सभी लिखित एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण का पूर्ण विवेचन व परीक्षण करने के उपरांत अपना निर्णय पारित किया है। इस प्रकरण की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व गिरदावरियों से यह पूर्णतया स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विवादित भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने व उससे पूर्व से ही गैर मुमकीन अंगोर दर्ज चली आ रही है अर्थात यह भूमियां सावर्जनिक उपयोग की गैर मुमकीन गोचर भूमि की श्रेणी में आती है। जिसमें निजी खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि अनुसार संभव नहीं होता है। रेस्पो0/वादी ने पेनल्टी की रसीदें प्रस्तुत की है वह उनकी पुश्तैनी भूमियों की लगान की रसीदे नहीं होकर उन भूमियों पर उनकी विधि विरूद्ध अतिक्रमण के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में हुये जुर्माने की रसीदें है। इस प्रकार के विधि विरूद्ध अतिक्रमण से विवादित भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
>
> (iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो/वादी ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/1190/2005/नागौर सरकार बनाम सुमेर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त भूमियां उनकी पुश्तैनी भूमियां होने या उन्हें विधि अनुसार आवंटित होने बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित विधिसंगत निर्णय को अपने सरसरी तौर पर पारित निर्णय से अपास्त किया है जिसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2003 अपास्त किया जाता है एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य